

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 3596
(सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

महाराष्ट्र और त्रिपुरा में पीएमआईएस के तहत इंटरनशिप के अवसर

3596. डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले:

श्री बिप्लब कुमार देब:

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा प्रस्तावित और स्वीकृत इंटरनशिप अवसरों की संख्या कितनी है और त्रिपुरा सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवाओं को और विशेषकर महाराष्ट्र के युवाओं को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं;
- (ग) उक्त योजना ने विशेषकर त्रिपुरा जैसे छोटे राज्यों में कौशल विकास और रोजगार में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने में कितना योगदान दिया है;
- (घ) इसमें क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या योजना के माध्यम से प्राप्त कौशल संवर्धन की प्रभावकारिता की निगरानी करने के लिए निष्पादन रिपोर्ट, भुगतान प्रणाली आदि जैसे तंत्र स्थापित किए गए हैं;
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (छ) प्रतिभागी कम्पनियों से प्रशिक्षणार्थियों की गुणवत्ता और चयन प्रक्रिया में सुधार के संबंध में क्या फीडबैक प्राप्त हुई है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): बजट 2024-25 में घोषित प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना (पीएमआईएस) का उद्देश्य अगले पाँच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटरनशिप के अवसर प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 3 अक्टूबर, 2024 को इस योजना का एक पायलट प्रोजेक्ट का शुभारम्भ किया, जिसका लक्ष्य एक वर्ष में 1.25 लाख इंटरनशिप के अवसर प्रदान करना है। दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 से आरम्भ हुए पायलट प्रोजेक्ट के पहले दौर में, देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 745 जिलों में साझेदार कंपनियों द्वारा 1.27 लाख से अधिक इंटरनशिप के अवसर पोस्ट किए गए। दिनांक 9 जनवरी, 2025 को आरम्भ हुए पीएम इंटरनशिप योजना पायलट प्रोजेक्ट के दूसरे दौर में, लगभग 327 साझेदार कंपनियों ने देश के 735 जिलों में 1.18 लाख से अधिक इंटरनशिप अवसर (पिछले दौर के नए और संपादित अपूरित अवसर) पोस्ट किए हैं।

पीएमआईएस पायलट प्रोजेक्ट के दूसरे दौर में कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए इंटरनेट अवसरों की संख्या का त्रिपुरा सहित राज्यवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) से (घ): पीएमआईएस पोर्टल, जो योजना के संपूर्ण कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करता है, देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की समावेशिता को बढ़ाने के लिए 12 विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। पीएम इंटरनेट योजना पायलट प्रोजेक्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार, देश के सभी भागों से प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर, आवेदकों की योग्यताओं का मिलान उस इंटरनेट अवसर के लिए कंपनी द्वारा मांगी गई योग्यताओं से करके, पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक इंटरनेट अवसर के लिए अभ्यर्थियों के एक समूह का चयन किया जाता है। शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया का उद्देश्य देश के सभी क्षेत्रों से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और विकलांग व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करके इंटरनेट कार्यक्रम में विविधता, क्षेत्रीय समावेशिता और सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देना है, ताकि संबंधित कंपनी को उनकी संबंधित प्रक्रियाओं और मानदंडों के अनुसार आगे के चयन के लिए शॉर्टलिस्ट के रूप में भेजा जा सके।

इसके अतिरिक्त, कारपोरेट कार्य मंत्रालय इस योजना के प्रचार और कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों, उद्योग और उद्योग संघों जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है। मंत्रालय महाराष्ट्र और त्रिपुरा राज्यों सहित देश भर में लक्षित समूहों तक पहुंचने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रम भी चला रहा है।

(ड) और (च): पीएमआईएस पायलट प्रोजेक्ट के तहत, कंपनी से अपेक्षा की जाती है कि वह व्यक्ति को उस कौशल पर वास्तविक कार्य अनुभव प्रदान करे जिसमें कंपनी प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो। यह युवाओं को विभिन्न व्यवसायों या संगठनों के वास्तविक जीवन के परिवेश में प्रशिक्षण प्राप्त करने, अनुभव और कौशल प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य अकादमिक शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के अंतराल को कम कर उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है।

मासिक भत्ता और एकमुश्त अनुदान का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे प्रशिक्षुओं के आधार से जुड़े बैंक खातों में किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, पायलट प्रोजेक्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार, परिणामों पर नज़र रखने और पायलट प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के दौरान सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक समवर्ती निगरानी, मूल्यांकन और शिक्षण (एमईएल) ढाँचा प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) इस योजना के कार्यान्वयन के दौरान इसके प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न हितधारकों से प्रतिक्रिया एकत्र कर रहा है।

(छ): पायलट प्रोजेक्ट के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि कंपनियां आवधिक आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करने के लिए अपने स्वयं के तंत्र का पालन करेंगी, और अपनी नीतियों के अनुसार प्रशिक्षुओं के प्रदर्शन और आचरण का निरंतर मूल्यांकन करेंगी।

दिनांक 11.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3596 भाग (क) का अनुलग्नक

पीएमआईएस पायलट प्रोजेक्ट के दौरा ।। में साझेदार कंपनियों द्वारा पोस्ट किए गए इंटरनशिप अवसरों का राज्यवार विवरण।

क्र. सं.	राज्य	पीएमआईएस पायलट प्रोजेक्ट के दौरा ।। में कंपनियों द्वारा पोस्ट किए गए इंटरनशिप अवसरों की संख्या
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	9
2.	आंध्र प्रदेश	4715
3.	अरुणाचल प्रदेश	227
4.	असम	2516
5.	बिहार	2316
6.	चंडीगढ़	406
7.	छत्तीसगढ़	3399
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	204
9.	दिल्ली	2048
10.	गोवा	848
11.	गुजरात	11672
12.	हरियाणा	5646
13.	हिमाचल प्रदेश	1414
14.	जम्मू और कश्मीर	533
15.	झारखंड	2586
16.	कर्नाटक	9928
17.	केरल	3251
18.	लद्दाख	60
19.	लक्षद्वीप	2
20.	मध्य प्रदेश	5220
21.	महाराष्ट्र	15187
22.	मणिपुर	67
23.	मेघालय	114
24.	मिजोरम	49
25.	नगालैंड	86
26.	ओडिशा	3449
27.	पुदुचेरी	409
28.	पंजाब	2297
29.	राजस्थान	4839
30.	सिक्किम	223
31.	तमिलनाडु	15785
32.	तेलंगाना	5357
33.	त्रिपुरा	383
34.	उत्तर प्रदेश	7714
35.	उत्तराखंड	1561
36.	पश्चिम बंगाल	4428
	कुल	118948